











2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीषक-“2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ-01-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना)(के.75/रा.25-रा) -27-सब्सडी” के नामे डाला जायेगा ।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1335/दस-2010 दिनांक 12 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,  


(भूपेन्द्र सिंह)  
सचिव ।

संख्या- ६९३ (१)/२६-ब०प्र०-२०१०-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ ।
- 4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 6- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम विकास, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 8- राज्य योजना आयोग-1/2, नियोजन अनुभाग-3
- 9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

  
(उमा शंकर सिंह)  
अनु सचिव ।







